

(Minutes)

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY,  
KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा  
रावतभाटा रोड, कोटा

Website : [www.vmou.ac.in](http://www.vmou.ac.in)



60 वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण  
(Minutes)

स्थल	:	कुलपति सचिवालय
दिनांक	:	07 नवम्बर, 2020, शनिवार
समय	:	प्रातः 10.15 बजे

Jee

# VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा  
रावतभाटा रोड, कोटा

## माननीय सदस्यों की सूची

1. प्रो. आर. एल. गोदारा  
कुलपति,  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,  
कोटा। अध्यक्ष
2. संभागीय आयुक्त, सी.ए.डी. ऑफिसए कोटा। सदस्य  
प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।  
श्री टी.पी. मीणा (अति. संभागीय आयुक्त एवं मुख्य लेखाधिकारी)
3. डॉ० दिलीप कुमार शर्मा,  
निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा सदस्य
4. प्रो. बी. अरुण कुमार  
निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ,  
व.म. खुला वि.वि. कोटा सदस्य
5. डा. गोपाल सिंह, से.नि. प्राचार्य,  
निवास- 4-ज-27, विज्ञान नगर, कोटा। सदस्य
6. कुलसचिव,  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,  
कोटा। सदस्य  
(विशेष आमन्त्रित)
7. श्री राकेश भारती  
वित्त नियंत्रक,  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। सदस्य-सचिव
8. डा. रवि गुप्ता (परीक्षा नियन्त्रक) विशेष आमन्त्रित सदस्य
9. डा. अनुराधा शर्मा (सहा. आचार्य) विशेष आमन्त्रित सदस्य

Jee

बिन्दु संख्या 60/01:- वित्त समिति की दिनांक 20-06-2020 को सम्पन्न 59वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय- समिति द्वारा गत 59वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.06.2020 के कार्यवाही विवरण एवं संशोधन का अवलोकन किया गया।

बिन्दु संख्या 60/02:- वित्त समिति की 59वीं बैठक दिनांक 20.06.2020 में लिये गये निर्णयों की पालना (Action Taken Report) के संबंध में।

निर्णय- समिति द्वारा गत वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना (Action Taken Report) का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया।

बिन्दु संख्या 60/03:- बजट नोट

निर्णय- विश्वविद्यालय द्वारा समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की राज्य सरकार से प्राप्त संवेतन अनुदान, विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोत से सम्भावित आय की स्थिति एवं उक्त वर्षों से वेतन एवं भत्ते व अन्य सम्भावित व्यय विवरण से समिति को अवगत करवाया गया। समिति को वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य एवं अंकेक्षण व्यवस्था से भी अवगत करवाया गया।

बिन्दु संख्या 60/04:- विश्वविद्यालय की आय/प्राप्तियों वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट अनुमान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।  
(लेएवंवित्त)

निर्णय- समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय/प्राप्तियों का संशोधित बजट अनुमान एवं 2021-22 के आय बजट अनुमान क्रमशः रु. 9533.80 लाख एवं रु. 10836.00 लाख अनुमोदित किया गया।

**VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA**

**Block Grant & Budget Estimates of Income R.E. for the year 2020-21 and B.E. 2021-22**

(Rs. In lacs)

S.No.	Head of Income	2019-20	2020--21			B.E. 2021-22
		Actuals 2019-20	B.E. 2020-21	Actual Income up to 15/10/20	R.E. 2020-21	
1	2	3	5	6	7	8
<b>1- Income from University Own Sources</b>						
1	Courses Fee	9623.00	9200.00	5550.00	7500.00	8000.00
2	Interest on Deposits	1435.00	650.00	450.00	1000.00	800.00
3	RKCL Income	1405.00	1400.00	0.00	550.00	1000.00
4	Quarter and Building Rent	7.11	3.00	1.45	7.14	7.14
5	Light & Water Charges	2.65	6.00	3.25	2.50	2.70
6	Misc. Receipts	26.27	70.00	25.30	24.16	26.16
	<b>Total "A"</b>	<b>12499.03</b>	<b>11329.00</b>	<b>6030.00</b>	<b>9083.80</b>	<b>9836.00</b>
<b>2- Grant from State Govt.</b>						
7	Non-Plan Grant	850.00	900.00	225.00	450.00	1000.00
<b>Total :</b>		<b>13349.03</b>	<b>12229.00</b>	<b>6255.00</b>	<b>9533.80</b>	<b>10836.00</b>

*Alan*

Comptroller

बिन्दु संख्या 60/05 :- विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2020-21 के व्यय के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्यय के बजट अनुमान अनुमोदन के सम्बन्ध में।

(लेएवंवित्त)

निर्णय-

समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2020-21 का संशोधित व्यय बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान क्रमशः रु. 9308.30 लाख एवं रु. 10357.50 लाख अनुमोदित किया गया। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। समिति समस्य प्रो० गोपाल सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु भी बजट प्रविजन किया जावे। तदपश्चात समिति द्वारा उक्त कार्य हेतु आकस्मिक व्यय मद निर्धारित किया गया।

**VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA**  
**EXPENDITURE**

**Budget Estimates of Expenditure and R.E. for the year 2020-21 & B.E. 2021-22**

(Rs. In Lacs)

S.No.	Head of Expenditure	Actual 2019-20	Budget B.E. 2020-21	Actual Exp. As on 15/10/2020	R.E. 2020-21	B.E. 2021-22
<b>A- Pay &amp; Allowances</b>						
1	Pay & Allowances	2714.22	3300.00	1532.01	2900.00	3200.00
<b>Total of "A" :</b>		<b>2714.22</b>	<b>3300.00</b>	<b>1532.01</b>	<b>2900.00</b>	<b>3200.00</b>
<b>B- Other Expenditure</b>						
2	T.A. & D.A.	12.93	25.00	1.93	20.00	25.00
3	Medical Re-imbusement	37.67	50.00	14.34	40.00	50.00
4	Contengencies (Meetings/Outsource men power/Misc	84.39	150.00	54.97	125.00	150.00
5	Telephone Charges	6.13	8.00	3.47	7.00	9.00
6	Postage (Study Material & Postage)	246.11	300.00	77.76	250.00	350.00
7	Stationery	22.57	33.00	2.11	30.00	40.00
8	Liveries	2.63	3.00	1.03	3.00	3.00
9	Light & Water Charges	61.90	80.00	30.71	75.00	90.00
10	Security Services Expenses	74.71	90.00	49.18	90.00	100.00
11	Rent of Office Building	5.63	6.00	0.00	6.00	8.00

12	Hired Vehicle Charges	21.31	35.00	3.85	30.00	40.00
13	Legal Expenses	1.59	8.00	0.79	8.00	10.00
14	Membership Fee	0.50	1.00	0.58	1.00	1.50
15	Audit Charges	0.80	6.00	0.57	6.00	8.00
16	Publicity & Advertisement	58.33	75.00	31.20	75.00	85.00
17	Convocation & Other functions (Deepawali/Holi/Eid etc)	14.85	40.00	0.08	40.00	50.00
18	Maintenance of Building & Plantation	40.57	110.00	40.63	90.00	110.00
19	Maintenance of Guest-House	0.43	5.00	0.00	5.00	7.00
20	Examination Expenses	731.03	1500.00	248.04	1000.00	1400.00
21	Evaluation of Assignments & Thisis	66.04	100.00	18.68	80.00	110.00
22	Payment to Study centers	37.20	85.00	12.18	65.00	80.00
23	Printing/Purchase of Study Material	7.40	1500.00	9.31	1500.00	1600.00
24	Insurance Charges	0.62	4.00	1.48	4.00	6.00
25	Repair of Furniture & Equipments	0.56	10.00	0.29	8.00	12.00
26	Running & Maintenance of Vehicle/DG Set	10.94	18.00	5.84	15.00	20.00
27	Student Support Services	92.26	135.00	50.08	125.00	140.00
28	Staff Training & Development	0.00	3.00	0.00	2.00	4.00
29	Seminar/Workshop/Foriegn visit	1.73	5.00	0.03	3.00	8.00
30	Development of SIM	0.50	50.00	0.00	25.00	50.00
31	Maitenance of Computers /Studio *	5.27	9.00	2.53	10.00	15.00
32	Publication of University E Journals	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
33	Mediclaime Policy in New Contibutory Pension Scheme	2.52	5.00	2.72	5.00	8.00
34	Payment of Stipend (Library)	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00
35	RKCL Exp.	495.26	850.00	32.29	350.00	700.00
<b>Total of "B" :</b>		<b>2144.38</b>	<b>5304.00</b>	<b>696.67</b>	<b>4098.30</b>	<b>5295.50</b>

<b>C- Provision/Funds</b>						
36	Provision for Building Fund	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00
37	Provisions for Corpus Fund	300.00	200.00	200.00	200.00	100.00
38	Staff Welfare Medical Fund	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
39	Staff Welfare Fund	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Gratuity Fund	500.00	450.00	450.00	450.00	200.00
41	Pensioner Medical Fund	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
42	Provisions of Pension	1200.00	1300.00	1300.00	1300.00	1100.00
43	Vice-Chancellor Disc. Fund	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Total of "C" :</b>		<b>2306.00</b>	<b>2156.00</b>	<b>2154.00</b>	<b>2154.00</b>	<b>1604.00</b>

D- Capital Expenditure						
44	Purchase of Furniture & Equipments (includes Desert Cooler, Water Cooler, Zerox Machine )	164.64	100.00	5.99	80.00	150.00
45	Lab. Equipment	7.37	50.00	0.00	50.00	70.00
46	Library Books	4.30	6.00	0.06	6.00	8.00
47	Purchase of Vehicle	0.00	30.00	0.00	20.00	30.00
<b>Total: "D"</b>		<b>176.31</b>	<b>186.00</b>	<b>6.05</b>	<b>156.00</b>	<b>258.00</b>
<b>Total of "A+B+C+D" :</b>		<b>7,340.91</b>	<b>10946.00</b>	<b>4388.73</b>	<b>9308.30</b>	<b>10357.50</b>

Comptroller

बिन्दु संख्या 60/06 :- निरीक्षण विभाग राजस्थान वर्ष 41/1995-96 की अवधि विशेष जांच प्रतिवेदन के आक्षेप के निस्तारण हेतु।

(अंकेक्षण लेएवंवित्त)

निर्णय-

प्रकरण पर समिति द्वारा विचारोपरान्त आडिट आक्षेपों के निस्तारण बाबत समीक्षा हेतु निम्न समिति का गठन किया गया है:-

क.सं.	समिति सदस्यों के नाम	समिति में पद
1.	प्रो० बी. अरुण कुमार	अध्यक्ष
2.	प्रो० गोपाल सिंह	सदस्य वित्त समिति
3.	श्री डी. के. सिंह	उप कुलसचिव (लेएवंवि)
		विशेष आमन्त्रित सदस्य
4.	श्री राकेश भारतीय	नियन्त्रक (वित्त) सदस्य
		सचिव

समिति से प्राप्त संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

बिन्दु संख्या 60/07 :- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार-

बिन्दु संख्या 60/7.1 :- गत 59वीं वित्त समिति दिनांक 20.06.2020 के बिन्दु संख्या 59/4 के सेक्शन-सी में की गई पारिश्रमिक वृद्धि में पुनः वृद्धि किये जाने एवं अन्य पारिश्रमिक हेतु प्रस्ताव।

(निदेशक संकाय, योजना एवं विकास)

निर्णय-

समिति द्वारा गत बैठक के बिन्दु संख्या 59/04 के सेक्शन-सी में की गई पारिश्रमिक वृद्धि में सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर के पत्रांक दिनांक 21.08.2017 द्वारा जारी दरों के समान करने की सहमति व्यक्त की गई साथ ही उक्त आदेशानुसार शुल्क बढ़ोत्तरी हेतु कोविड-19 परिस्थिति के पश्चात निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 60/7.2 :- समिति द्वारा विचारोपरान्त 20 दिवस के प्रायोगिक कैम्प की पूर्व दरों को यथावत रखते हुए यू.जी.सी. द्वारा प्रायोगिक कार्यों के निर्धारित दिवसों के अनुपात में बढ़ाये जाने की अनुशंसा हेतु प्रस्ताव।

निर्णय-

समिति द्वारा विचारोपरान्त 20 दिवस के प्रायोगिक कैम्प की पूर्व दरों को यथावत रखते हुए यू.जी.सी. द्वारा प्रायोगिक कार्यों के निर्धारित दिवसों के अनुपात में बढ़ाये जाने की अनुशंसा की गई। भुगतान पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची अनुसार किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही उक्त व्यय वृद्धि के अनुसार अनुपातिक प्रायोगिक शुल्क वृद्धि हेतु भी कोविड-19 अवधि के पश्चात राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 60/7.3 :- वित्त समिति की 59वीं बैठक दिनांक 20.06.2020 में निर्णय संख्या 59/08 एवं प्रबन्ध मण्डल की 98वीं बैठक दिनांक 01.07.2020 के निर्णय संख्या 98/04 द्वारा सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.1(38)आर.बी./2015/6462 दिनांक 21.08.2017 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को



मानदेय/पारिश्रमिक की दरें निर्धारण करने हेतु परीक्षा विभाग के आदेश क्रमांक वमखुवि/परीक्षा/2020/62631 दिनांक 10.08.2020 के क्रम में समिति का गठक किया गया था। इस क्रम में वमखुवि/परीक्षा/2020 दिनांक 16.10.2020 के अनुसार आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण वित्त समिति के माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

(परीक्षा नियन्त्रक)

निर्णय—

परीक्षा नियन्त्रक के प्रस्ताव अनुसार सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 21.08.2017 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को मानदेय/पारिश्रमिक की दरें लागू किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गई। नियंत्रक (वित्त) द्वारा सुझाव दिया गया कि कार्मिकों को मानदेय/ओवर टाईम भुगतान पर राज्य सरकार से सहमति प्राप्ति उपरान्त ही कार्यवाही की जानी उचित होगी, जिससे भविष्य में होने वाले ऑडिट आक्षेप से बचा जा सके।

बिन्दु संख्या 60/7.4 :- विश्वविद्यालय की आगामी सत्रांत परीक्षाओं/प्रवेश परीक्षाओं/आर.एस.सी.आई.टी. एवं अन्य परीक्षाओं के लिये कोविड-19 महामारी के संक्रमण से सुरक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों पर सेनेटाईजर करवाये जाने हेतु अतिरिक्त राशि दिये जाने के क्रम में।


(परीक्षा नियन्त्रक)

निर्णय—

परीक्षा नियंत्रक के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं सहमति व्यक्त करते हुये आगामी परीक्षाओं हेतु पूर्व की भांति प्रति परीक्षा केन्द्र, प्रति परीक्षा रू. 500/- कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम/सुरक्षा हेतु स्वीकृत किया गया।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

कुलपति एवं अध्यक्ष



नियंत्रक (वित्त) एवं सदस्य सचिव

